


21/11/24


श्री भवानी सिंह पालावर, सदस्य
श्री मदन लाल मेहरा, सदस्य
फावली पेशा हुई। वकील ज्ञानी श्री सी. पी.
पाराशर उपर। वकील ज्ञानी ने निवेदन किया कि
उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारार्थीन
दोसरे दिनांक 18/10/24 नियत थी किन्तु मा० न्यायालय
ने आदेशिका दिनांक 03/11/2016 एवं 29/06/2017 की
पालना नहीं करत पर अपील का अद्यत तकमील में
स्वार्थित फरमा दिया।

यह कि उक्त अपील में रेषा० संख्या 08
रामेश्वर पुत्र प्रयोचन्य की मृत्यु के जाने के कारण उसके
कायम पुत्र की कार्यवाही हेतु अपील को आदेशित
किया गया। यह यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि

रूप में पक्षकार संयोजित किया जा कि उक्त
अपील में अपील को पूर्व अति आसक्त द्वारा कि गई
दाखिली तुरि ही क्योंकि उक्त अपील में रामेश्वर पुत्र
प्रयोचन्य अजलनी व्यक्ति ही जिसका उक्त प्रकरण से कोई
लेना देना नहीं है।

अतः न्याय हित में यह बाणयात्री ज्ञानी पत्र
द्वारा उक्त पांच भाग रूप में कोस्ट पर स्वीकार
किया जाता ही कोस्ट की राशी संलग्न ही बाणयात्री
वाक्य से कम ही आदेश सुनाया गया।


 सदस्य
 राजस्व मण्डल राजस्थान
 अजमेर


 सदस्य
 राजस्व मण्डल राजस्थान
 अजमेर